

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-बास जिला अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

(अपील सं.

प्रवेश तिथि

निर्णय तिथि

5/21

1.10.21

20.10.21

उनवान

1. सुनीता पत्नि श्री अजीतसिंह जाति जाट निवासी ग्राम छतरपुर तहसील किशनगढबास
जिला अलवर अपीलान्टा

बनाम

1. ग्राम पंचायत झिरण्डिया पं०सं० किशनगढबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झिरण्डिया
तह० किशनगढबास रेस्पोंडेन्ट
अपील विरुद्ध ग्राम पंचायत

:- निर्णय:-

अपील के सुक्ष्म बिन्दु निम्नप्रकारं से है:-

नामांतकरण सं० 1233 दिनांक 05.08.2021 राजस्व ग्राम झिरण्डिया का है आराजी ख०न० 152/0.27 हे०, 153/0.06 चाही अ० किता देा रकबा 0.3300हे० सालिम वाके ग्राम झिरण्डिया तह० किशनगढबास को जरिये रजि० बयनाम क्रमांक 52 दिनांक 08.8.2021 को विकता बलराम पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी झाबूआ तहसील बावल रेवाडी से विधिवत प्रतिफल राशि अदाकर बयनाम उपपंजीयक किशनगढबास से तस्दीक कराकर कब्जा आराजी पर उसी रोज प्राप्त कर लिया था जिस रजिस्टर्ड बयनामा में मिन अपीलान्ट की जाति जाट दर्ज है बाद पंजीयन मूल बयनामा हल्का पटवारी गंज का वास्तें दर्ज नामांतकरण सोंप दिया था किन्तु नामान्तकरण दर्ज करते समय भूलवश अथवा जानबूझकर हल्का पटवारी ने अपीलान्ट की जाति जाट के स्थान पर जाति अहीर दर्ज करते हुए दिनांक 05.8.2021 को रेस्पोंडेन्ट ग्राम पंचायत झिरण्डिया से बिना अपीलान्ट की उपस्थिती के स्वीकार करा दिया एवं नामान्तकरण संख्या 1233 के आधार पर चौसाला जामाबन्दी कायम कर दी गई। जबकी हल्का पटवारी द्वारा दर्ज करने नामांतकरण मिल अपीलान्ट को नही भूलाया, उसी कदर ग्राम पंचायत झिरण्डिया द्वारा नामांतकरण स्वीकृत करते वक्त ना तो दस्तावेज बयनामा को पढा, ना ही अपीलान्टा का सूचित कर बुलाया, बल्की बयनामा में जाट अंकित होते हुए भी जाति अहीर के नाम का नामांतकरण स्वीकृत कर दिया, जिसका ज्ञान अपीलान्टा को दिनांक 26.8.21 को नकल जमाबन्दी ई मित्र से प्राप्त करने पर हुआ। तत्पश्चात अपीलान्ट के परिवारजन ने इसे शुद्ध कराने हेतु हल्का पटवारी गिरदावर, कानूनगो से सम्पर्क किया उन्होने नकल इन्तकाल की प्रमाणित कापी देते हुए कहा कि सक्षम अदालत में कार्यवाही करो, इसलिए बिनादेरी अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। बयनामा की प्रमाणितप्रति संलग्न है।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय ग्राम पंचायत झिरण्डिया दिनांक 05.08.21 बाबत इन्तकाल 1233 मन्सूख फरमाया जावे एवं अपीलान्त के हक में बयनाम रजिस्ट्रार के आधार पर नामांतकरण स्वीकार कराने की आज्ञा पारित की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा तहसीलदार किशनगढबास से बाबत इन्तकाल रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार किशनगढबास ने अपील स्वीकार करते हुए दस्तावेजानुसार जाति अहीर की जगह जाट अंकित कर दिया जावे रिपोर्ट पेश की।

हमने प्रार्थीया/अपीलान्ता को सुना प्रार्थना पत्र/अपील का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार किशनगढबास की रिपोर्ट एवं बयनामा दस्तावेज से साबित है कि ग्राम पंचायत झिरण्डिया के नामांतकरण सं० 1233 दिनांक 05.08.2021 में अपीलान्ता की जाति जाट की जगह अहीर दर्ज कर दिया जिसे खारिज किया जाकर पुनः बयनामा रजिस्ट्री के आधार पर नामांतकरण दर्ज वो स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त स्वीकार कि जाती है तथा ग्राम पंचायत झिरण्डिया द्वारा स्वीकृत नामांतकरण क्रमांक 1233 दिनांक 05.8.2021 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक बयनामा दिनांक 8.7.21 के अनुसार नामांतकरण दर्ज वो स्वीकार किया जावे।


(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)